मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

117वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 16–04–2021

का

कार्यवृत्त।

.मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 117वीं बैठक दिनांक 16–04–2021 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 117वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 16–04–2021 को 'वर्चुअल मीटिंग' सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री मृदुल चौधरी,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री के0 बालाजी,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री मनीष बंसल,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
5.	श्रीमती मेघा रूपम	उपायुक्त उद्योग, प्रभारी अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री संजीव राणा,	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री कृष्ण मोहन यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
9.	श्री एस0सी0गौड़,	चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य।

10.	श्री नैन सिंह तोमर,	शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्रीमती वर्षा कौशिक,	शासन द्वारा नामित सदस्य, के–03, के ब्लॉक, विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शास्त्रीनगर, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्री चरण सिंह लिसाड़ी,	शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ।	सदस्य।
13.	सुश्री प्रवीणा,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–02–2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 09–02–2021 को सम्पन्न 116वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14–08–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
1	2.	3.	4.
09	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन शताब्दीनगर/ लोहियानगर में अनावंटित भवनों को यथा स्थिति में बल्क–सैल के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत भवनों की कॉस्टिंग की जा रही है तथा सम्बन्धित ठेकेदारों से भी वार्ता (Negotiation) की जा रही है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित तथा प्रस्ताव आगामी बोर्ड के समक्ष रखने के निर्देश दिये गये।

10	कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम नंगलापातू में भूमि चिन्हित करते हुए उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या माँगी गयी थी। प्राधिकरण द्वारा भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या, जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा चुकी है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा आगामी बोर्ड बैठक में प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14–08–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–			
मद सं0	**विषय**	**अनुपालन आख्या**	**बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश**
12	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन (ए0डब्लू0एच0ओ0) से 3176.85वर्ग मीटर भूमि का EXCHANGE DEED निष्पादित करने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं तद्नुसार प्रस्ताव आगामी बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये।
116वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–02–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–			
मद सं0	**विषय**	**अनुपालन आख्या**	**बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश**
1.	उ0प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति–2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स ईकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: I/19813/2020 दिनांक: 17.02.2020 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।		
2.	पटेल नगर, मेरठ के भूखण्ड संख्या–160, कुल क्षेत्रफल 2132.60 वर्ग मी0 पर पुरूषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन समिति (पंजी0) द्वारा 'समाज कल्यांण केन्द्र' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP2018101212232300 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
3.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सम श्रेणी के विलॉज/फ्लैटस में समायोजन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित 275 आवंटियों में से उपलब्ध सम्पत्तियों के सापेक्ष 21 सम्पत्तियों का समायोजन पत्रावली पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभिन्न तिथियों में सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 254 सम्पत्तियों का समायोजन होना शेष है।	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित। बोर्ड द्वारा पारित निर्णय मद सं0 05 पर उल्लिखित है।

		एतद् विषयक प्रस्ताव मद सं0 05 पर बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
4.	प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 5ए में 10148.00 वर्ग मीटर का भूखण्ड सामुदायिक केन्द्र हेतु नियोजित है। इस भूखण्ड के लगभग 1000.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक सामुदायिक केन्द्र निर्मित है जो कि काफी जीर्ण–श्रीर्ण अवस्था में होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इसके दृष्टिगत सेक्टर 5ए स्थित सामुदायिक केन्द्र के भूखण्ड पर आवासीय भूखण्डों का नियोजन एवं अर्द्धनिर्मित उपाध्यक्ष आवास को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने हेतु नियोजन की दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा आगामी बोर्ड में प्रस्ताव रखने के निर्देश दिये गये।

5.	शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किये जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या–4384/8–3–11–181विविध I/2008 दिनांक 27.09.2011 के क्रम में होटल को पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आदि भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू–उपयोगों में प्रभाव शुल्क को आरोपित न करते हुए अनुमन्य किये जाने हेतु महायोजना 2021 जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन किये जाने के संबंध में।	मा0 बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में जोनिंग रेगुलेशन्स में होटल क्रिया के संबंध में किये गये परिवर्तन के संबंध में अंतिम विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जा चुका है एवं शासन को भी सूचनार्थ प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
6.	खसरा संख्या–139/1 ग्राम कुण्डा, बाईपास रोड़, मेरठ पर 'बजट होटल' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP20180806143828253 की स्वीकृति के संबंध में	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

7.	मैसर्स सुपरटैक लि0 ग्रीन विलेज, हापुड बाई पास रोड, मेरठ के तलपट मानचित्र में ग्राम–नूर नगर एवं नंगला शेर खां उर्फ जैनपुर का व्यवसायिक भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित। प्रस्ताव अगली बोर्ड में रखने के निर्देश दिये गये।
8.	ग्राम–समौली परगना दौराला तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 891, 892, 893 व 894 कुल भूमि क्षेत्रफल 22790.00 वर्ग मी0 पर समाजवादी अर्फोडेबल हाउसिंग योजनान्तर्गत मैसर्स प्रतीक डीलकॉम द्वारा प्रस्तावित मानचित्र संख्या: 952/16 निरस्त होने के कारण उक्त भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में मै0 प्रतीक डीलकॉम द्वारा प्रस्तावित मानचित्र संख्या–952/16 निरस्त होने के कारण भूमि क्षेत्रफल 22790.00 वर्ग मी0 का कृषि से आवासीय में किये गये भू–उपयोग परिवर्तन को निरस्त किये जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
9.	ग्राम अलीपुर जिजमाना मेरठ के खसरा संख्या–55ए, 55बी, 56ए, 56बी, 57, 59, 60, 64, 70, 81 व 82 कुल क्षेत्रफल 60208.83 वर्ग	बोर्ड की सहमति के अनुक्रम में शमन मानचित्र निरस्त किया जा चुका है। प्रवर्तन की अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	मी0 भूमि पर कृषि भू–उपयोग में कृषि ऊपज आधारित उद्योग (इन्टीग्रेटिड मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट) की विशेष अनुमति के सम्बन्ध में।		
10.	मै0 सुपरटैक लि0 की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के संबंध में।	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के सापेक्ष धनराशि जमा कराये जाने हेतु विकासकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में विकासकर्ता द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के सापेक्ष ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि अंकन रू0 2,68,57,518/–जमा करायी जा चुकी है। प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
11.	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की फीस के निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुक्रम में अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16–04–2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
1.	वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	बोर्ड द्वारा बजट प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गयी तथा पूँजीगत व्यय के मद सं0 4.1 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण एवं अतिरिक्त प्रतिकर पर प्रस्तावित व्यय 1000.00 लाख के स्थान पर 2000.00 लाख (10.00 करोड़ के स्थान पर 20.00 करोड़) किये जाने के निर्देश के साथ बजट अनुमोदित किया गया।
2.	कोविड–19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज दरों में एकरूपता रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति गठित करने के निर्देश दिये गये।
3.	प्राधिकरण द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण करने एवं योजनाओं से सम्बन्धित कार्यो हेतु जे0सी0बी0 कम्पनी की दो बकहो लोडर मशीन को जैम पोर्टल से क्रय करने का प्रस्ताव अगामी बोर्ड बैठक में रखने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त किसी विशेष कम्पनी की मशीनों के क्रय करने के स्थान पर प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत 02 बकहो लोडर मशीन जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4.	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत लम्बे समय से रिक्त चली आ रही निर्मित/अर्द्धनिर्मित सम्पत्तियों को जैसा है, जहाँ है के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिये सम्पत्तियों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि हेतु फ्रीज किये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5.	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सम श्रेणी के विलॉज/फ्लैटस में समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त इस निर्देश के साथ स्वीकृति दी गयी कि आवेदकों से सहमति प्राप्त करके ही हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित आवंटियों के भवनों/भूखण्डों का प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध विलॉज/फ्लैटस् में समायोजन की स्वीकृति दी गयी। निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण समायोजन के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही करें।
6.	उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 558./आठ–3–21–211 विविध/13 टी.सी. लखनऊ दिनांक 09. 02.2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–558/आठ–3–21–211 विविध/13 टी.सी. लखनऊ दिनांक 09–02–2021 अंगीकृत की गयी।

7.	अयोध्या नगर के विकास हेतु तैयार किये गये अयोध्या डेवलेपमेन्ट प्लान की तरह मेरठ नगर हेतु नगर का सिटी डेवलेपमेन्ट प्लान तैयार कराने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि यदि बोर्ड मैम्बर एक सप्ताह के अन्दर कोई सुझाव प्रस्तुत करता है तो उसे सम्मिलित करते हुए आर0एफ0पी0 फ्लोट करने की अनुमति दी गयी।
8.	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाऐं जिनकी अवस्थापना सेवायें नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई है, उन कालोनियों के आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने तथा पूर्व से बकाया अनुरक्षण शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर गहन चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय–

अनु0 मद सं0	विषय	**निर्णय**
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में संचालित परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माणों की सीलिंग की कार्यवाही किये जाने के अधिकार प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को अपने स्तर से निर्णय लेने के निर्देश दिये गये।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(प्रवीणा) सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(मृदुल चौधरी) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(सुरेन्द्र सिंह) अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ।